फर्द अहकाम

देवव्रत **बनाम** कैलाश

नाम न्यायालय ACM (F-I) Shahpura - Jaipur

केस संख्या 128/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली वास्ते बेहतजात कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 17/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर ...पुरा (जिला-जयपुर) राज.
	17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री डिक्री जारी हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर पेश नहीं की, दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री डिक्री जारी हेतु स्वीकार है। कुर्रेजात रिपोर्ट सही उचित होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 128 / 2024

उनवान

1.देवव्रत सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादी

बनाम

1.कैलाश चन्द पुत्र पाचूराम

2.दशरथ कुमार पुत्र पांचूराम

3.मक्खनलाल पुत्र पाचूराम

4 सुनील कुमार पुत्र पांचूराम

5.सुभाष चन्द पुत्र पांचूराम

6.बाबूलाल पुत्र पांचूराम

7.मीनाक्षी पुत्री सुरजमल

8.वर्षा पुत्री सूरजमल

9.राजीव पुत्र सूरजमल

10. विमला पत्नि सूरजमल

11.सुमन पुत्री सूरजमल

12.प्रेमप्रकाश पुत्र लादूराम

13. राजेश कुमार पुत्र सत्यनारायण

14. दीपक कुमार पुत्र सत्यनारायण

15. रेखा पुत्री सत्यनारायण

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी करीरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

17.उपतहसीलदार उपतहसील अमरसर, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 17/11/2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–1811 रकबा 0.5300 हैक्टर, 1812 रकबा 0.8200 हैक्टर, 1814 रकबा 0.0100 हैक्टर, 1815 रकबा 0.6600 हैक्टर 1816 रकबा 0.8800 हैक्टर वाकै ग्राम करीरी, तहसील–शाहपुरा, उपतहसील–अमरसर, भू–अभिलेख निरीक्षक अमरसर, पटवार सर्किल करीरी कुल किता–5 रकबा 2.900 हैक्टर स्थित है जिसके हिस्से 1/4 भाग का खातेदार वादी तथा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं0–12 तथा हिस्से 7/18 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं0–1 लगायत 6 व मृतक नारायणी देवी पत्नि पांचूराम जाति ब्राह्मण, निवासी बहिस्सा बराबर एवं हिस्से 1/18 भाग का खातेदार काश्तकार मृतक सत्यनारायण पूर्व प्रतिवादी सं0–13 लगायत 15 तथा हिस्से 1/18 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं0–7 लगायत 11 बहिस्सा बराबर प्रत्येक हिस्से 1/90 भाग के खातेदार काश्तकार है मृतक नारायणी पत्नी स्व० पाचूराम जाति ब्राह्मण निवासी करीरी निर्वसीयत फौत हो गयी है उसके हिस्से 1/18 भाग के खातेदार उसके वारिसान प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 व 13 लगायत 15 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 15 वाद पत्र की खण्ड सं0–1 में वर्णित हिस्सो अनुसार काबिज रहकर मनतसल्ली से पृथक पृथक काश्त करते चले आये है। वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 15 के मध्य आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड सं0–1 का व उसके लगान का आज तक कानूनी बटवारा नहीं हुआ है।

4. यहकि वादी कानूनी बटवारे के अभाव में आराजी वर्णित खण्ड सं०–1 वाद पत्र के अपने हिस्से 1/4 भाग को विकसित नहीं कर पा रहा है वादी ने प्रतिवादी सं०–1 लगायत 15 को आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड सं0–1 वाद पत्र का अपने अपने हिस्सो अनुसार विधिक बंटवारा करने हेतु कई बार कहा मगर वे टालमटोल करते आये है तथा उन्होने अर्सा एक सप्ताह पूर्व आराजी मुतनाजा का बटवारा बअनुसार हिस्से खातेदारी कराने से इकार कर दिया है तथा उन्होंने वादी को एलानियों धमकी दी है कि वे वादी को उसके दर्ज हिस्से 1/4 भाग की खातेदारी भूमि की शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने की धमकी देने के फलस्वरूप प्रस्तुत वाद बाबत बंटवारा आराजी व लगान तथा स्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ है। यदि प्रतिवादी सं०–1 लगायत 15 आराजी मुतनाजा का उनके तथा वादी के नाम दर्ज हिस्से बअनुसार खण्ड सं०–1 वाद पत्र के बंटवारा ना कराने तथा वादी को उसके हिस्से 1/4 भाग की भूमि की शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देने में सफल हो गये तो वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में किया जाना संभव नहीं होगा।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

6 यहकि प्रस्तुत वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं लगान का होने तथा उक्त वाद में लैण्ड होल्डर प्रतिवादी सं0–16 के आवश्यक पक्षकार होने तथा आराजी मुतनाजा के बंटवारे के बाद वादी के हिस्से में आयी भूमि का राजस्व रिकार्ड संधारित करने हेतु प्रतिवादी सं0–17 अधिकृत होने से वह भी प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है। इस कारण प्रतिवादी सं0–16 लगायत 17 को प्रस्तुत वाद पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण वाद पत्र की खण्ड सं0–1 लगायत 3 उत्पन्न होकर खण्ड सं0–4 वाद पत्र के अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 15 द्वारा आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड सं0–1 वाद पत्र का वादी के नाम अंकित हिस्से का बंटवारा कराने से इंकार कर देने तथा वादी को उसके हिस्से 1/4 भाग की भूमि का शांति पूर्वक अपनी इच्छानुसार काश्त तथा उपयोग उपभोग नहीं करने देने की धमकी देने के फलस्वरूप पैदा हुई दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नं0–1811, 1812, 1814, 1815, 1816 कुल किता–5 कुल रकबा 2.900 हैक्टर वाकै ग्राम करीरी भू.अभि. निरीक्षक अमरसर, पटवार हल्का करीरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर के हिस्से 1/4 भाग का बहक वादी बंटवारा कराया जाकर तदानुसार आराजी के लगान का भी बंटवारा कराया जावे तथा तदानुसार खातेजात पृथक पृथक दर्ज कराया जावे। डिक्रि स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुतनाजा हाल खसरा नं0–1811, 1812, 1814, 1815, 1816 कुल किता–5 रकबा 2.900 हैक्टर वाकै ग्राम करीरी के हिस्से 1/4 भाग की भूमि जो बाद बंटवारा वादी के हिस्से हक एवं अधिकार में आवे उसका वादी को अपनी इच्छानुसार शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से उपयोग तथा उपभोग करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 25.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 12 स्वयं उपस्थित आये एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत प्रतिवादी संख्या 12 ना तो स्वयं उपस्थित आये एवं ना ही जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 लगातार अनुपस्थित रहने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 एवं 13 लगायत 17 बाद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 13.02.2025 को नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एवं मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

13.02.2025 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/6105 दिनांक 10.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नं0–1811, 1812, 1814, 1815, 1816 कुल किता–5 कुल रकबा 2.900 हैक्टर वाकै ग्राम करीरी भू.अभि. निरीक्षक अमरसर, पटवार हल्का करीरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. देवव्रत सिंह शेखावत पुत्र बजरंग सिंह शेखावत हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1814 रकबा 0.01 है0, 1815 रकबा 0.66 है0, 1816/1 रकबा 0.0550 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7250 है0 भूमि रहेगी।
2. कैलाशचन्द पुत्र पांचूराम हि0 8/99, दशरथ कुमार पुत्र पांचूराम हि0 8/99, बाबूलाल पुत्र पांचूराम हि0 8/99, मक्खनलाल पुत्र पांचूराम हि0 8/99, सुनील कुमार पुत्र पांचूराम हि0 8/99, सुभाष चन्द पुत्र पांचूराम हि0 8/99, शकुन्तला पुत्री पांचूराम हि0 2/297, सन्तोष शर्मा पुत्री पांचूराम हि0 2/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, दीपक शर्मा पुत्र सत्यनारायण हि0 8/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, रेखा शर्मा पुत्री सत्यनारायण हि0 8/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, राजेश कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण हि0 8/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, प्रतिभा शर्मा पुत्री हरिशचंद्र शर्मा हि0 1/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, विपिन कुमार शर्मा पुत्र हरिशचन्द्र शर्मा हि0 1/297 जाति ब्राह्मण सा0 अचरोल तहसील आमेर खातेदार, मीनाक्षी पुत्री सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, राजीव पुत्र सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, वर्षा पुत्री सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, विमला पत्नि सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, सुमन पुत्री सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, रवि कुमार मीना पुत्र उम्मेद राम मीना हि0 1/3 जाति मीणा, सा0 देह खातेदार

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1811 रकबा 0.53 है0, 1812 रकबा 0.82 है0, 1816/2 रकबा 0.8250 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1750 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/11/2025 को सरै इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 128 / 2024

उनवान

1.देवव्रत सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासी करीरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

–वादी

बनाम

1.कैलाश चन्द पुत्र पाचूराम

2.दशरथ कुमार पुत्र पांचूराम

3.मक्खनलाल पुत्र पाचूराम

4 सुनील कुमार पुत्र पांचूराम

5.सुभाष चन्द पुत्र पांचूराम

6.बाबूलाल पुत्र पांचूराम

7.मीनाक्षी पुत्री सुरजमल

8.वर्षा पुत्री सूरजमल

9.राजीव पुत्र सूरजमल

10. विमला पत्नि सूरजमल

11.सुमन पुत्री सूरजमल

12.प्रेमप्रकाश पुत्र लादूराम

13. राजेश कुमार पुत्र सत्यनारायण

14. दीपक कुमार पुत्र सत्यनारायण

15. रेखा पुत्री सत्यनारायण

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति ब्राह्मण, निवासी करीरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

17.उपतहसीलदार उपतहसील अमरसर, जिला जयपुर, (राज०)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट</u>

निर्णय दिनांक :– 17/11/2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी मुतनाजा हाल खसरा नं0–1811, 1812, 1814, 1815, 1816 कुल किता–5 कुल रकबा 2.900 हैक्टर वाकै ग्राम करीरी भू.अभि. निरीक्षक अमरसर, पटवार हल्का करीरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. देवव्रत सिंह शेखावत पुत्र बजरंग सिंह शेखावत हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1814 रकबा 0.01 है0, 1815 रकबा 0.66 है0, 1816/1 रकबा 0.0550 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7250 है0 भूमि रहेगी।
2. कैलाशचन्द पुत्र पांचूराम हि0 8/99, दशरथ कुमार पुत्र पांचूराम हि0 8/99, बाबूलाल पुत्र पांचूराम हि0 8/99, मक्खनलाल पुत्र पांचूराम हि0 8/99, सुनील कुमार पुत्र पांचूराम हि0 8/99, सुभाष चन्द पुत्र पांचूराम हि0 8/99, शकुन्तला पुत्री पांचूराम हि0 2/297, सन्तोष शर्मा पुत्री पांचूराम हि0 2/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, दीपक शर्मा पुत्र सत्यनारायण हि0 8/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, रेखा शर्मा पुत्री सत्यनारायण हि0 8/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, राजेश कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण हि0 8/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, प्रतिभा शर्मा पुत्री हरिशचंद्र शर्मा हि0 1/297 जाति ब्राह्मण सा0 देह, विपिन कुमार शर्मा पुत्र हरिशचन्द्र शर्मा हि0 1/297 जाति ब्राह्मण सा0 अचरोल तहसील आमेर खातेदार, मीनाक्षी पुत्री सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, राजीव पुत्र सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, वर्षा पुत्री सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, विमला पत्नि सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, सुमन पुत्री सुरजमल हि0 8/495 जाति ब्राह्मण सा0 देह, रवि कुमार मीना पुत्र उम्मेद राम मीना हि0 1/3 जाति मीणा, सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1811 रकबा 0.53 है0, 1812 रकबा 0.82 है0, 1816/2 रकबा 0.8250 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1750 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा।साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 17/11/2025 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदड़, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)
सत्यमेव जयते

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.